संख्या– 1835 / III(2)/15–03(मु0म0घो0)/2015

प्रेषक,

अरविन्द सिंह ह्यांकी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

देहरादून: दिनांक   मार्च, 2015

लोक निर्माण अनुभाग–2

विषय:– वित्तीय वर्ष 2014–15 में मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणान्तर्गत लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत विभिन्न 22 कार्यों की प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड द्वारा मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणान्तर्गत संलग्न विवरणानुसार प्रथम चरण की स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराये गये विभिन्न 22 कार्यों के प्रारम्भिक आगणनों, जिनकी कुल लम्बाई 81.50 किमी0 + 10 सेतु तथा लागत ₹ 769.25 लाख है, पर टी0ए0सी0 वित्त द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई लागत **₹ 769.25 लाख** (₹ सात करोड उनहत्तर लाख पच्चीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 में संलग्नक के कॉलम सं0–5 पर उल्लिखित विवरणानुसार प्रति कार्य ₹ 0.10 लाख अर्थात कुल 22 कार्यों हेतु ₹ 2.20 लाख [illegible] की धनराशि, व्यय हेतु अवमुक्त किये जाने की महामहिम श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(i)– उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त शासनादेश सं0–1764/III(2)/10–17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(ii)– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शेड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(iii)– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि में बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

(iv)– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(v)– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरे मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(vi)– स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्राक्योरमेन्ट रूल्स–2008 एवं उक्त के विषय में समय–समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कडाई से अनुपालन किया जायेगा। [illegible] भी अनुपालन किया जायेगा।

(vii)– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0– 2047/XIV–219(2006) दिनांक 30–05–2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। [illegible]

(viii)– [illegible]

[illegible] स्वीकृत किये जा रहे कार्यों की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता [illegible] का होगा।

[illegible] इस हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31-03-2015 तक सुनिश्चित [illegible] किसी [illegible] कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है [illegible] रखी गई धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।

[illegible] स्वीकृत किये जा रहे कार्यों में से कोई कार्य अथवा उसका कोई भाग प्रधानमंत्री ग्रामीण [illegible] स्वीकृत है अथवा उसे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत किया जा सकता है [illegible] वाले की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

[illegible] के कार्य हेतु यदि किसी अन्य समरूप कार्य हेतु पूर्व में बनाई गई डिजाईन / मानक, पूर्ण रूप [illegible] आंशिक रूप से विषयगत कार्य हेतु प्रयोग की जा सकती है, तो मितव्ययता की दृष्टि [illegible] कार्यवाही की जाय।

(2) [illegible] चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में लोक निर्माण विभाग के [illegible] 22-लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें [illegible] -03 [illegible] -02 नया निर्माण कार्य-24 वृहत निर्माण कार्य के नाम डाला जायेगा।

(3) यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या- 935/XXVII/(2)/2014 दि0- 18 मार्च, 2015 को प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक- यथोपरि।

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
अपर सचिव

संख्या- [illegible] / III(2)/15-03(मु0म0घो0)/2015 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूं मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
3. सम्बन्धित जिलाधिकारी।
4. सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लो.नि.वि., उत्तराखण्ड।
5. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
8. मुख्यमंत्री घोषणा अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन।
9. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड।
10. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(एच0एस0 [illegible])
उप सचिव

शासनादेश संख्या– 1835 / III(2)/15–03(मु0म0घो0)/2015 दिनांक 19 मार्च, 2015 का संलग्नक

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र0 सं0	कार्य का नाम	लम्बाई किमी0 में	टी0ए0सी0 द्वारा अनुमोदित लागत	चालू वित्तीय वर्ष में व्यय हेतु अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5
1	मा0मु0घो0 सं0 816/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर में बसोली से मेरोली, आनुली, सिरगांव, भेटा बड़ोली, अलचौना होते हुए भनोली सिमलखेत तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण एवं 24 मी0 स्पान स्टील गर्डर सेतु का निर्माण कार्य।	12.00 + 24 mt	94.13	0.10
2	मा0मु0घो0 सं0 814/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर में ग्राम बालीखेत व सानीखेत के मध्य पनार नदी में 60मी0 स्पान झूला पुल का नवनिर्माण कार्य।	60 mt	4.02	0.10
3	मा0मु0घो0 सं0 901/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर में भगतोला से बोरा पाखरी अल्मकड़ा गांव मोटर मार्ग का नव निर्माण।	4.00	36.74	0.10
4	मा0मु0घो0 सं0 908/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर में बड़गुला से थपलिया तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण एवं 10 मी0 स्पान आर0सी0सी0 मोटर सेतु सहित निर्माण।	4.00 + 10 mt	38.03	0.10
5	मा0मु0घो0 सं0 900/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर में ईड़ा– नौगांवी मोटर मार्ग के विस्तार पर कोसी नदी पर 72 मी0 विस्तार मोटर सेतु का निर्माण।	72 mt	7.92	0.10
6	मा0मु0घो0 सं0 781/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर में दौलाघाट –गुरना मोटर मार्ग का निर्माण।	5.00 + 24 mt	44.16	0.10
7	मा0मु0घो0 सं0 261/2015 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर में रिंगोशा से शेष इण्टर कालेज तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	3.00	27.64	0.10
8	मा0मु0घो0 सं0 913/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र–अल्मोड़ा में विकासखण्ड भैंसियाछाना के तरुला ग्राम के समीप जटागंगा नदी पर 36 मी0 स्पान स्टील गर्डर पैदल सेतु का नवनिर्माण।	36 mt	3.15	0.10
9	मा0मु0घो0 सं0 890/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा में जागरूड़ी बैण्ड से बेलगांव गांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण एवं 18 मी0 आर0सी0सी0 मोटर सेतु सहित।	3.00 + 18 mt	25.61	0.10
10	मा0मु0घो0 सं0 885/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा में सैराज से दिव्या तक मोटर मार्ग का निर्माण।	3.00	24.69	0.10
11	मा0मु0घो0 सं0 655/2014 के अन्तर्गत जनपद टिहरी के विधानसभा क्षेत्र घनसाली में बंजियाल गांव से [illegible] तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	5.00	53.91	0.10
12	मा0मु0घो0 सं0 657/2014 के अन्तर्गत जनपद टिहरी	3.00	32.35	0.10